भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 121
29 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों को सहायता

*__121. श्री बी. मणिक्कम टैगोरः__
श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कार्यान्वयनाधीन प्रमुख कृषि नीतियों और कार्यक्रमों का ब्यौरा और इनकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा किसानों को पर्याप्त सहायता प्रदान करने में कौन-कौन सी मुख्य चुनौतियां हैं;
(ख) किसानों को उनकी उपज का उचित बाजार मूल्य मिलना सुनिश्चित किये जाने के लिए मौजूद तंत्रों का ब्यौरा क्या है और कृषि उत्पादों की बिक्री और विपणन को विनियमित करने या सुकर बनाने में सरकार की क्या भूमिका है;
(ग) क्या मंत्रालय बीजों, उर्वरकों और उपकरणों जैसे आवश्यक कृषि आदानों की खरीद और वितरण करता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सभी किसानों के लिए समय पर और एक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) दिसम्बर से अप्रैल तक किसानों की सहायता करने के लिए कौन-कौन सी विशिष्ट पहल/सहायता कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं क्योंकि यह अवधि कृषि कैलेंडर में महत्वपूर्ण है; और
(ङ) कृषि कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में मंत्रालय की क्या भूमिका है और यह किसानों की सहायता के लिए किस प्रकार उत्तरदायी है?

__उत्तर__
__कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)__

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"किसानों को सहायता" के संबंध में लोक सभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 121 के भाग (क) से (ङ) तक के संबंध में उल्लिखित विवरण।

(क): भारत सरकार किसान कल्याण योजनाओं हेतु उपयुक्त नीतिगत उपायों और बजटीय आवंटन के माध्यम से राज्यों को सहायता प्रदान करती है। किसानों की आय में वृद्धि करने हेतु छः स्रोतों की पहचान की गई है: (i) फसल उत्पादन में वृद्धि (ii) उत्पादन लागत में कमी (iii) किसानों की आय में वृद्धि (iv) कृषि विविधीकरण (v) सतत कृषि के लिए जलवायु परिवर्तन के अनुकूल ढलना और (vi) किसानों के हानि की क्षतिपूर्ति।

सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के बजट आवंटन में वृद्धि करते हुए वर्ष 2013-14 के 21,933.50 करोड़ रुपये के बजट अनुमान को बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 1,27,290.16 करोड़ रुपये कर दिया है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएँ/कार्यक्रम, उत्पादन में वृद्धि कर, लाभकारी मूल्य द्वारा और किसानों को आय सहायता प्रदान कर किसानों के कल्याण के लिए बनाई गई है। जिससे संबंधित विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

(ख): सरकार संबंधित राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियो पर विचार करने के पश्चात् कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर अधिदेशित फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) निर्धारित करती है। 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर कम से कम 50 प्रतिशत मार्जिन के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में लगातार वृद्धि की है।

प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की एकीकृत योजना एमएसपी के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाती है और बाज़ार मूल्य स्थिरीकरण के एक साधन के रूप में कार्य करती है। पीएम-आशा में मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), भावांतर भुगतान योजना (पीडीपीएस) और बाज़ार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) शामिल हैं।

पीएसएस को राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती है जो अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद पर मंडी कर से छूट देने और पीक हार्वेस्टिंग अवधि के दौरान जब कभी भी कृषि वस्तुओं की बाजार कीमतें अधिसूचित एमएसपी से कम हो जाती हैं, वैज्ञानिक भंडारण सुविधा की बुकिंग, खरीद केंद्रों की पहचान जैसी व्यवस्था निर्धारित अवधि के भीतर करने के लिए सहमत होते हैं। खरीद वर्ष 2024-25 से, पीएसएस के तहत अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रारंभ में उस विशेष सीजन के लिए राज्य के उत्पादन के अधिकतम 25% तक की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तत्पश्चात, यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्वीकृत मात्रा की समग्र खरीद कर लेता है और आगे स्वीकृत मात्रा से अधिक खरीद करने के इच्छुक हैं, तो पीएसएस के तहत राष्ट्रीय उत्पादन के अधिकतम 25% की खरीद करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जाता है। दहलन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में योगदान देने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए, सरकार ने 2028-29 तक पीएसएस के राज्य के अनुमानित उत्पादन के 100% के बराबर तुअर, उड़द और मसूर की खरीद की अनुमति दी है।

पीडीपीएस में परिकल्पना की गई है कि केंद्र सरकार द्वारा उन पंजीकृत किसानों, जो निर्धारित अवधि के भीतर पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से अधिसूचित मार्केट यार्ड में निर्धारित उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) के साथ अपने उत्पादन के 40% तक तिलहन की बिक्री करते हैं, को अधिसूचित बाज़ार में एमएसपी मूल्य के 15% तक (2% प्रशासनिक लागत सहित) एमएसपी और विक्रय/मॉडल मूल्य के बीच के मूल्य अंतर का सीधा भुगतान किया जाएगा। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास किसी विशेष वर्ष/मौसम के लिए अधिसूचित तिलहनों के लिए पीएसएस या पीडीपीएस लागू करने का विकल्प है। यदि कोई राज्य 40% से अधिक मात्रा को कवर करने को तैयार है, तो वह अपने संसाधनों से ऐसा कर सकता है।

एमआईएस उपर्युक्त मूल्य स्थिरीकरण उपायों के अंतर्गत नहीं आने वाली नाशवान और बागवानी फसलों का समर्थन कर विविधता को और बढ़ाता है। एमआईएस, टॉप (टमाटर, प्याज और आलू) फसलों के भंडारण और परिवहन के प्रावधान के साथ-साथ वास्तविक और भावांतर भुगतान, दोनों प्रदान करता है।

इस एकीकृत दृष्टिकोण से किसानों द्वारा दबाव में बिक्री को रोकने में मदद मिलती है और उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होता है। इससे बाज़ार में उतार-चढ़ाव से निपटने के लिए बफर स्टॉक का भी निर्माण होता है। कुल मिलाकर, ये उपाय मूल्य समर्थन के आश्वासन से बाज़ार संचालन में किसानों का विश्वास मज़बूत करते हैं।

(ग) से (ङ): कृषि राज्य का विषय है और केंद्र द्वारा प्रायोजित सभी योजनाएँ संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। बीजों और अन्य कृषि आदानों के लिए, राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत उनकी वार्षिक कार्य योजना के अनुसार व्यवस्था की जाती है। योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा निरंतर की जाती है| मुख्यालय और मैदानी स्तर पर योजनाओं का आकंलन एक सतत प्रक्रिया है|

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सभी योजनाएं/कार्यक्रम का कार्यान्वयन वर्ष भर किया जाता है।

विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन 29 मई से 12 जून 2025 तक पूरे देश में खरीफ पूर्व अभियान के रूप में किया गया। इस अभियान का उद्देश्य उन्नत कृषि तकनीकों, सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाना था, साथ ही किसान-प्रेरित नवाचारों और किसानों की प्रतिक्रियाओं का दस्तावेजीकरण करना भी इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। इस अभियान के दौरान 2,170 बहुविषयी वैज्ञानिकों की टीमों ने सीधे तौर पर 1.35 करोड़ से अधिक किसानों से संवाद किया और देश के 728 जिलों में लगभग 61 हजार कार्यक्रम आयोजित किए गए। किसानों को खरीफ मौसम के लिए उन्नत कृषि तकनीकों, आधुनिक कृषि प्रणाली की चुनौतियों, उन्नत मशीनों, उपकरणों और गुणवत्ता युक्त इनपुट्स (उर्वरक, कीटनाशक, बीज आदि) के उपयोग के बारे में जागरूक किया गया। अभियान के दौरान 300 किसान-प्रेरित नवाचार, 70 नीतिगत मुद्दे और 500 शोध योग्य विषयों का दस्तावेजीकरण किया गया, जिससे मांग आधारित अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके।

अनुबंध

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-के.एम.वाई.)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)/रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)
4. संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एम.आई.एस.एस.)
5. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एन.बी.एच.एम.)
8. नमो ड्रोन दीदी
9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पी.डी.एम.सी.)
13. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एस.एम.ए.एम.)
14. परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)
15. सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी (एस.एच. एंड एफ.)
16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एस.एम.ए.ई.)
20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एस.एम.एस.पी.)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.)
22. इंटीग्रेटेड स्कीम फ़ॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग (आई.एस.ए.एम.)
23. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन

*****